न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

मनोजकुमार बनाम अभयकुमार

114/2025 T.5

पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। वहां अधि. प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। वहां के दौरान अधि. प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्यों के दौरान वहां पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के हितों का निर्धारण मूल पाड के तथ्यों व सूचनाओं के आधार पर किया जाना है। दौरान पाड विवादित भूमि के रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन होने पर पाड कार्यवाही के बढ़ने की संभावना है तथा प्रार्थी के हित भी प्रभावित हो सकते है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के रिकॉर्ड को यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् प्रावधान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के खातों के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 1367, 1376, 1412 वाले तल्लहर्ष, पटवार हल्का हर्ष, तहसील ~~नवलगढ़~~ सीकर ग्रामीण, जिला सीकर की भूमि पर तादीराने पाड संख्या 131/2025 बउनवान मनोज कुमार बनाम अभय कुमार तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर